यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त (क0नि0)-**I,** वा0क0 ऋषिकेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक आयुक्त (क0नि0)-**I,** वा0क0 ऋषिकेश के माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सिराज हुसैन एवं श्री नीरज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.06.17 से 15.06.17 तक श्री एन0के0 सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)**परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अशोक कुमार (ले0प0), श्री डी0के0श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अजय मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.09.2016 से 09.09.2016 तक श्री ए0एन0साहू लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 01.04.14 से 31.03.16 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – कर-निर्धारता एवं भौगोलिक क्षेत्र- देहरादून रोड, ऋषिकेश क्रियाकलाप-कर निर्धारण व वापसी वादों का निस्तारण
3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	1320.46
2015-16	1451.45
2016-17	1857.14

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय `	अभ्यर्पित राशि
	लागू नहीं		

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन ..... द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -- ----श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर**>** वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण, ऋषिकेश को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....03/17.....को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह .....को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण ₹ 1.27 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(b)(i)(d) के अन्तगर्त किसी भी अनुसूची मे सम्मिलित वस्तु से भिन्न वस्तु के की बिक्री पर करदेयता 12.5% की दर से निर्धारित की गई है। इस पर दिनांक 01.04.2010 से अवर्गीकृत वस्तुओं पर 1% की दर से अतिरिक्त कर भी देय होगा।

सहायक आयुक्त (क0नि0)-I, वा0क0 ऋषिकेश की वर्ष 2016-17 की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री एम0के0 इन्टर प्राइजेज, ऋषिकेश, तथा सर्वश्री एम0के0 एजेन्सी ऋषिकेश, कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा कुल ₹ 1497203/- की कुरकुरे की ब्रिकी 5% पर की गयी थी। जबकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से अच्छादित नही है। अत: उसकी ब्रिकी पर अन्तरीय कर दर 8.5% (13.5-5) से ₹ 127262/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि ब्रिक्रित वस्तु कुरकुरे न होकर नमकीन है। विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योंकि कर-निर्धारण आदेश मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि विक्रित वस्तु कुरकुरे है।

अत: प्रकरण सुधारात्मक कार्यवाही हेतु विभाग के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-02 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.26 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत किसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही किया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो और देय कर का 50% यदि कर ₹10000 से अधिक हो का दायी होगा।

सहायक आयुक्त (क0नि0)-I, वा0क0 ऋषिकेश के अभिलेखों के जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री गढ़वाल ग्लास हाउस, ऋषिकेश कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 द्वारा निमनांकित माहो मे देय कर ₹ 260942/- विलंब से जमा किया गया था।

माह	कर जमा करने की तिथि	कर की धनराशि (₹ मे)	आरोपणीय अर्थदण्ड (₹ मे)
अक्टूबर-13	11.12.13	56800	5680
दिसम्बर-13	05.04.14	120000	12000
जनवरी-14	15.05.14	51776	5177.6
फरवरी-14	15.05.14	20210	2021
मार्च-14	15.05.14	12156	1215.6
	योग	₹2,60,942/-	₹26094.2/-

अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के प्रावधानो के अन्तर्गत नियमानुसार ₹26094/- का अर्थदण्ड आरोपणीय है.

उक्त के संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 'ख'

प्रस्तर-03 ब्याज की धनराशि कम वसूल किया जाना ₹0.60 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-34(4) के अनुसार यदि स्वीकृत कर समय से जमा नही किया जाता है तो ऐसी धनराशि पर जमा करने के दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा।

सहायक आयुक्त (क0नि0)-I, वा0क0 ऋषिकेश की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्नांकित कमियां पायी गयी-

1. व्यापारी सर्वश्री गणेश पैकेजिंग, मन्सा देवी अमित ग्राम गुमानीवाला ऋषिकेश कर-निर्धारण वर्ष 2013-14 मे ₹ 4428/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिस पर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था। तथा व्यापारी द्वारा ₹ 4428/- चालान सं0-06 दिनांक 08.05.17 को जमा कर दिया गया था किन्तु उक्त तिथि तक नियमानुसार ब्याज की राशि ₹ 2393/- व्यापारी द्वारा जमा नही किया गया।

2. व्यापारी सर्वश्री सुनील कुमार लोदी, जौलीग्रान्ट, भानियावाला ऋषिकेश, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 मे ₹ 7950/- के स्वीकृत कर का आरोपण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया था जिसपर दिनांक 01.10.2013 से जमा करने की तिथि तक ब्याज भी आरोपणीय था व्यापारी द्वारा राशि ₹7950/- चालान सं0-32 दिनांक 28.09.16 को जमा करा दिया था किन्तु उक्त तिथि तक नियमानुसार ब्याज की राशि ₹ 3571/- व्यापारी द्वारा जमा नही किया गया उक्त बकाया को R-3 पंजिका से भी समाप्त कर दिया गया।

इस संबंध मे इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही का आश्वासन दिया गया जिसकी लेखापरीक्षा मे प्रतीक्षा रहेगी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
01/2014-15		1,2,4
17/2016-17		1,2,3,4,5

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त (क0नि0)-**I,** वा0क0 ऋषिकेश तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री जयदीप रावत	असि0 कमि0
(ii)	श्री रजनीकान्त शाही	असि0 कमि0

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सहायक आयुक्त (क0नि0)-**I,** वा0क0 ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र